बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन के संबंध में

राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों / तकनीकी संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र दिये जाने हेतु पोर्टलः– medhasoft.bih.nic.in/mkuysnatak2021 पर आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 31.12.2023 तक निर्धारित है। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को देय होगा, जो निम्न शर्त्त पूर्ण करती है :–

(1). बिहार राज्य के स्थायी निवासी हो।

(2). राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों / तकनीकी संस्थानों से स्नातक / स्नातक समकक्ष उत्तीर्णता की तिथि 01.04.2021 से 30.09.2023 के बीच हो।

(3). लाभुक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक के किसी शाखा में होना चाहिए।

(4). पात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार बैंक खाता से सीडेड (DBT के लिए) नहीं है, वो बैंक से तुरंत सम्पर्क करें। आधार सिडींग और खाता से आधार लिंक अलग–अलग चीजे है। जिनका भी बैंक खाता आधार के साथ सीडेड नहीं होगा, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा।

(5). यदि पात्र लाभुक दिनांक 31.12.2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते है तो यह समझा जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है तथा दिनांक 31.12.2023 के पश्चात् उन्हे अलग से मौका नहीं दिया जाएगा।

(6). योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाईट Educationbihar.gov.in पर देखा जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मो0 न0 9534547098, 8986294256 एवं ई–मेल mkuysnatakhelp@gmail.com पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक, उच्च शिक्षा
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

PR. No. 012964 (Education) 2023-24

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।